

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी संस्थान में D.EL.ED. प्रविष्टि सूत्र 2020-22 में नामांकन हेतु दिनांक 13.02.2021 एवं 14.02.2021 को कार्यालय आदेशांक-118 एवं 119 दिनांक 12.02.2021 के अनुसार वांछित मेधा अंक अनुसार कराये गये कॉसलिंग के आधार पर चयनित व प्रकाशित तृतीय चयन सूची में संकाय-कला रॉस्टर विन्दु 112 (BCF) में दर्ज नाम - प्रियंका कुमारी, पिता- श्री शंकर प्रसाद, कोटि - BC आवेदन फार्म सं. - 3099 का वास्तविक मेधा-66.96 है। जबकि BC कोटि FEMALE हेतु न्यूनतम मेधा 68% को कॉसलिंग हेतु बुलाया गया था। कॉसलिंग पंजी के अंतर्गत से ज्ञात होता है कि इन्होंने 68.71% अंक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। फलतः इनका नाम चयन सूची में दर्ज कर दी गयी। समय की बाधता व कार्य की अधिकता की वजह से इस प्रकार दृष्टिगत नहीं हो सका। जो कि विधि संगत नहीं है।

तथा रॉस्टर संख्या - 141 (UR) में दर्ज नाम - महमूद अली, पिता- मुर्शिद अली, कोटि - BC फार्म सं. - 4496 का वास्तविक मेधा - 70.71% है। इन्होंने मौलवी की योग्यता धारण करते हुए भी उर्दू के लिए आवेदन पत्र में YES के बदले NO किया है। जिससे इनकी पात्रता सामान्य अभ्यर्थी के रूप में भी नहीं किया जाना था परन्तु दृष्टिभ्रम व सामान्य की BC रॉस्टर पर चयनित कर लिया गया है। अतः आदर्श रॉस्टर विन्दु के आलोक में दोनों अभ्यर्थी का (अभ्यर्थी) नामांकन रद्द किया जाता है।

हं—

क्रमांक 160 / फुलपरिया भागलपुर, दिनांक 20/02/21

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के सूचनाार्थ ।
 प्रतिलिपि :- सम्बन्धित सभी अभ्यर्थी / प्रविष्टि के सूचनाार्थ एवं उक्त प्रविष्टि को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय कार्यालय में अपना जमा झल मजाना पत्र वापस प्राप्त कर लें।

(Handwritten signature and date)
 दिनांक 20/02/21